

<p>तारीख हुकम</p>		<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए</p>
-----------------------	--	--

18.10.2024

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री मि. गी. गी. गी. अन्तर्गत धारा १९२ राजस्थान १९२० अधिनियम १९२० के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 14.11.2024 को पेश हो।

3
सहायक जज
SDO सिवली

25.10.2024

वादी स्वयं द्वारा उपरोक्त बिना प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली आम तलब की गई।

वादी स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के तलबों को देखते हुए उक्त बिना कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति एवं लोकभावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है, तथा जरिये राजीनामा के अपने वाद की कार्यवाही को अती नहीं चलाया चाहते हैं। अतः वउ अती स्तर पर जरिये राजीनामा दिशे किया जावे।

एवं वादी स्वयं को वउ स्तर पर मात्र एवं पत्रावली के अवलोकन के तलबों में पत्रावली के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है ऐसी स्थिति में वाद जरिये राजीनामा के दिशे किया जाना सुझावित है।

अतः वादी का वाद अती स्तर पर जरिये राजीनामा दिशे कार्यवाही किया जाना है।
पत्रावली कार्यवाही अती है।

(Handwritten signature)

